उच्च शिक्षा में आरक्षण

सकारात्मक कार्यवाई का पुनर्रूप-रेखन

उच्च शिक्षा में जातियाँ और लाभ

सकारात्मक कार्रवाई में बेहतर नीति रूप-रेखन (डिजाइन) के लिए तर्क देते हुए, यह पत्र जातिगत कोटा के एक व्यावहारिक विकल्प का एक मॉडल प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित मॉडल साक्ष्य-आधारित है और समूह के कई स्रोतों और व्यक्तिगत नुकसान (जाति, क्षेत्र, लिंग, और ग्रामीण/शहरी निवास) के साथ-साथ बातचीत के प्रभाव और नुकसान की डिग्री को सम्बोधित करता है। इस तरह का दृष्टिकोण हमें यह प्रदर्शित करने की अनुमति देता है कि सकारात्मक कार्रवाई "तुष्टिकरण" के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे असमान समाज में वास्तविक नुकसान के स्रोतों को खत्म करने के बारे में है।

सतीश देशपांडे, योगेन्द्र यादव

अक्सर यह दावा किया जाता है कि भारत की सकारात्मक कार्यवाई की नीति विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लम्बे समय तक चलने वाली, सबसे विस्तृत तथा अपनी तरह का सफल पहलकदमी है। इन दावों में कुछ सच्चाई है। साथ ही, यह भी निश्चित रूप से सही है कि इस तरह की नीति के रूप-रेखन पर निरन्तर ध्यान हमारी सामर्थ्य में नहीं रहा है। वस्तुतः, भारत गणराज्य ने जन्म के समय (स्वतंत्रता के समय) एक पूर्व रूप-रेखित तथा पूर्व स्थिति में सकारात्मक कार्यवाई अपनाई। 1950 ई. में संविधान को अंगीकृत करने के उपरान्त, चुने हुए क्षेत्रों (विधायिकाएँ, सरकारी नौकरियाँ, शिक्षा) के नामित जातियों और समुदायों के आरक्षण में अनुपातिक कोटा निर्धारित करने वाली बुनियादी सकारात्मक कार्यवाई में कोई भी मूल परिवर्तन नहीं किया गया है।

जैसा कि यह सर्वज्ञात है, इस तरह के लक्षित कोटा के बहुत से गुण होते हैं। वे राजनैतिक एकता और निष्ठा को प्रोत्साहित करते हैं; वे प्रशासन और निगरानी करने में आसान हैं; तथा वे गैरनामित समूहों कासमायोजन करने के लिए अपेक्षाकृत प्रतिरोधी हैं। तथापि, कोटा सभी सकारात्मक कार्यवाईयाँ समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान नहीं है। लेकिन वे सभी समकालीन भारत में मूलभूत विकल्प बन गए हैं। यह न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों(एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अलावा, अन्य समूहों के लिए सकारात्मक कार्यवाई के विस्तार पर हालिया बहस पर लागू होता

है; बल्कि यह हमारी विधानसभाओं में अधिक महिलाओं को लाने या निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों की सामाजिक प्रोफ़ाइल को बदलने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के बारे में भी उतना ही सच है। ।

1950 के दशक के जाति कोटे को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से अन्य पिछड़ी जातियों तक विस्तारित करने के प्रयासों के जरिए आगे रखा गया था। बेशक, सभी सकारात्मक कार्यवाई स्वाभाविक रूप से विवादस्पद है क्योंकि यह अन्तर-समूह की शक्तियों के समीकरणों की यथास्थिति को बदलने का प्रयास करतीं हैं। इस प्रकार की समस्याएँ राजनीति का मूल तत्व हैं, और बेहतर नीति रूप-रेखन (डिजाइन) अकेले ही इन विवादों को समाप्त नहीं कर देगी। दूसरी ओर, खराब नीति रूप-रेखन निश्चित रूप से चीजों को और खराब कर देगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक लागत आवश्यकता से कहीं अधिक है और सामाजिक लाभ या तो बहुत कम है या तो बहुत बुरी तरह से लक्षित है, या दोनों है। इस प्रकार, सामाजिक उद्देश्यों (जैसे अवसरों की समानताओं को स्थापित करने या अन्यायपूर्ण असमानताओं को समाप्त करने) को प्राप्त करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य के अलावा, नीति रूप-रेखन में अपरिहार्य लागतों को कम करने और सम्भावित लाभों को अधिकतम करने की भावना में दक्षता सुनिश्चित करने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

हमारा मानना है कि इस माध्यमिक उद्देश्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, और इस मोर्चे पर वह कमियाँ प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इस पर्चे में, हम जाति कोटा के मूल मॉडल के लिए एक व्यवहारिक विकल्प का एक उदहारण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उस व्यापक दिशा को इंगित करने पर ज़ोर दिया गया है जिसमें, हम मानते हैं कि नीति रूप-रेखन आगे बढ़ते रहना चाहिए – हमारी योजना का विशिष्ट विवरण अस्थायी है तथा इन्हें केवल ठोस उदाहरण के रूप में है। अगले अनुभाग में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की विशिष्टता और नीति रूप-रेखन में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद के अनुभाग में, भारत सरकार द्वारा कुलीन व्यावसायिक शिक्षा में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) आरक्षण को लागू करने के हालिया निर्णय पर चर्चा की गई है। गई चूँकि हमारा जोर साक्ष्य-आधारित और बहुआयामी दृष्टिकोण पर है, अतः तीसरा अनुभाग उपलब्ध भूथड़े-सांख्यिकी (Macro-Statistical) प्रमाण के उदाहरणों विचार करता है, जिस पर एक वैकल्पिक रूप-रेखन आधारित हो सकता है। चौथा अनुभाग हमारे मॉडल की बुनियादी विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास करता है और बताता है कि समूह और व्यक्तिगत हानि दोनों को कैसे सम्बोधित किया जा सकता है। एक संक्षिप्त समापन

अनुभाग प्रस्तावित मॉडल की विशिष्टताओं और सम्भावित लाभों को रूपरेखा तैयार करता है।

सकारात्मक कार्यवाई तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ

अपने शुरुआती दिनों से ही, अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी एक विवादास्पद साबित हुई। इसका कारण यह था कि इसने उस ज़मीन का निर्माण किया जिस पर जाति और पिछड़ेपन के बीच सटीक सम्बन्धों एवं इन दोनों के बीच और राज्य से विशेष व्यवहार के बेचैन कर देने वाले प्रश्नों को तय किया जाना था। अनुसूचित जातियों का पिछड़ापन अस्पृश्यता के विचार पर टिका हुआ था, जो अपने व्यवहार (विशेषकर दक्षिण और उत्तर में) में व्यापक भिन्नताओं के बावजूद, बहुत कठोर था और तुच्छ बातों पर बहस करने या आपत्ति करने (चुटकी लेने) की अनुमति देने के लिए मजबूर था। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों(एस टी) के साथ भी था- उनके आमतौर पर तीखे जमीन विषयक (स्थानिक)अलगाव मुख्यधारा के हिन्दू समाज से रहा और /या उनकी निर्विवाद गरीबी ने सटीक स्थिरता सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, दोनों अनुसूचित समूहों को राज्य द्वारा प्रतिपूरक भेदभाव के लिए दिए गए अधिकार गई - हालाँकि वह शुरू में अनिच्छा से स्वीकार कर लिए गए - लेकिन 1990 के मंडल संघर्ष तक कभी भी गम्भीरता से सवाल नहीं उठाया गया था। अन्यथा, यह अन्य पिछड़ी जातियों ओ बी सी के साथ ही था – इसकी परिभाषा (किसे शामिल किया जाना चाहिए और क्यों?), साथ ही साथ इसके निहितार्थ (प्रदान की गई पात्रताओं की प्रकृति क्या और सीमा क्या होनी चाहिए?) का जोरदार विरोध किया गया गई। मई 2006 का आरक्षण विरोधी "आन्दोलन", इस स्पर्धा का सबसे ताजा उदाहरण है।

अन्य पिछड़ी जातियाँ ओबीसी जाति और विशेष लाभ व वंचित के बीच एक जटिल सम्बन्धों में गूँथी हुई है, और इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाई की नीति के साथ चुनौतियों और उसी तरह अवसरों को प्रस्तुत करती है। वहीं जाति अगड़ी जातियों को केवल विशेषाधिकार के लाभार्थी के रूप में तथाअनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को केवल वंचित के रूप में देखा जाता है, यहाँ अन्य पिछड़ी जातियों को सम्भव तः दोनों तरह से देखा जा सकता है। इस प्रकार ओबीसी द्वारा झेले गए सापेक्ष नुकसान की प्रकृति और सीमा को पकड़ने के लिए नीति डिजाइन को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। नीतिगत क्षितिज का विस्तार करने के लिए इस अवसर का दोहन करने के बजाय, सामान्य प्रतिक्रिया ओबीसी श्रेणी को उपसमूहों में विभाजित करने की रही है, जिनके लिए समान कोटा तर्क फिर से लागू किया गया है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह

होगा कि एक अधिक सूक्ष्म नीति डिजाइन की ओर बढ़ें जो नुकसान की डिग्री के साथ-साथ कई प्रकार के नुकसान को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार ओबीसी श्रेणी एक अधिक एकीकृत नीति ढाँचे में संक्रमण को सक्षम कर सकती है जहाँ जाति केवल सकारात्मक कार्रवाई के कई मानकों में से एक है।

द्वितीय मंडल: जो रास्ते अपनाए नहीं गए

जहाँ सरकार की उच्च और पेशेवर शिक्षा सम्भ्रान्त संस्थानों में अन्य पिछड़ी जाति आरक्षण प्रस्तुत करने की चाल द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की उच्च शिक्षा और मध्यवर्गीय नौकरियों तक पहुँच बेहतर करने की सम्भावना है, हालाँकि इस पर विचारशीलता या परिष्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। समकालीन भारत में (बाद में इस लेख में जाँच की गई) शैक्षिक असमानताओं के उपलब्ध प्रमाण से ज्ञात होता है कि पूरी की पूरी ऊँची जातियों की तुलना में पूरी की पूरी अन्य पिछड़ी जातियाँ निश्चित रूप से वंचित हैं। अतः, यहाँ तक कि सरकार द्वारा अपनाई गई जाति-विरोधी दृष्टिकोण भी इन असमानताओं में से कुछ को कम करने में मदद करेगा। इसे अन्य पिछड़ी जातियों के भीतर से व्यावसायिक संघ(पूल) का विस्तार करने में मदद करनी चाहिए, जो कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की विद्यमान योजना का लाभ उठा सकती है। इस प्रकार, एक अपरिष्कृत जाति कोटा भी कोई कोटा न होने से बेहतर है।

परन्तु, इस सकारात्मक प्रशंसा से हमें दीर्घकालिक कीमत के लिए अन्धा नहीं होना चाहिए। एक-आयामी जाति-विरोधी कोटा का परिणाम और कुछ नहीं किन्तु, इस योजना का अकुशल लक्ष्यीकरण हो सकता है। अन्य पिछड़ी जातियों से अपेक्षाकृत उच्च परिवार अधिकांश लाभों पर बेहतर एकाधिकार करने में सक्षम होंगे। क्षेत्रीय दृष्टि से, सकारात्मक कार्यावाई के लम्बे इतिहास तथा एक प्रबल पिछड़ी जाति आन्दोलन के साथ, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों के छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थान दिया गया है। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि इन अवसरों में से अधिकतर अवसर पुरुषों के पास होंगे, क्योंकि अन्य पिछड़ी जातियों में उच्च जाति के हिन्दुओं की तुलना में शिक्षा में लैंगिक अन्तर ज्यादा है। योजना को लक्षित करने में यह असफलता गहरे रोष को जन्म देने के लिए बाध्य है। कई गैर-अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र और उनके परिवार यह अनुभव कर सकते हैं कि वे नए आरक्षण के कारण प्रवेश प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों की तुलना में अधिक वंचित हैं। इस लेख में प्रस्तुत कई असुविधाओं के प्रमाण इन में से कुछ आशंकाओं को प्रबल करते हैं।

क्या अब भी इस स्थिति का समाधान करना और योजना के मापदण्डॉ के भीतर इन कीमतों को कम करना सम्भव है? घोषित नीति इन सम्भावनाओं में से एक को समाप्त कर देती है, जैसे जो गैर-अन्य पिछड़ी जातियों की वंचित स्थिति को सम्बोधित करती हो। परन्तु, उच्च शिक्षा में आरक्षण के कार्यान्वयन पर वीरप्पा मोइली पर्यवेक्षण समिति कम से कम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकती है कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण अधिक कुशलता से लक्षित हो। पहले, यह अनुग्रह कर सकता है कि अन्य पिछड़ी जातियों के भीतर “नवोन्नत परत” को नए आरक्षण के लाभ का अन्तिम अधियाचक बनाया जाना चाहिए। “नवोन्नत परत” का बहिष्कार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(एनसीबीसी) द्वारा विकसित परिभाषा के अनुसार रोज़गार आरक्षण के लिए पहले से ही कार्यरत है। यह वृत्तिक शिक्षा के लिए, इस तथ्य के साथ, लागू किया जा सकता है कि अन्य पिछड़ी जाति कोटा के रिक्त स्थानों को ही अन्य पिछड़ी जातियों की “नवोन्नत परत” को (सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित करने के स्थान पर) प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे, यह अनुग्रह किया जा सकता है कि 27 प्रतिशत कोटे को “उच्च” तथा “निम्न” अन्य पिछड़ी जातियों में विभाजित किया जाए। इस तरह के उप-विभाजन पहले से ही कई राज्यों में विद्यमान हैं तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह एक सांविधिक निकाय से शेष राज्यों के लिए उच्च और निम्न अन्य पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया जा सकता है। यह उन कुछ अन्य पिछड़ी जाति के समुदायों को बड़े पैमाने पर हुए लाभों के प्रति शेष समुदायों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो जाति आधारित लाभों की सुविधा प्राप्त करने के लिए शेष समुदायों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। यह भी सुनिश्चित करेगा कि निम्न अन्य पिछड़ी जाति समुदाय, मुख्य रूप से कारीगर तथा सेवा समुदाय, जिनकी शैक्षिक अवस्था अनुसूचित जातियों की उच्च परत से भी प्राय: बुरी रहती है, वे नई योजना से कुछ प्राप्त कर लेंगे। पुनः निम्न अन्य पिछड़ी जाति कोटा में रिक्त स्थान, उच्च अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा भरे जा सकते हैं। तीसरे, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान सुझा सकती है कि अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं के पास इस कोटा तक पहुँचने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। अन्त में, समिति “उत्कृष्ट विशेषता” व्यव्सायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार की पात्रता की न्यूनतम सीमा को उल्लिखित कर सकता है (जैसे, सामान्य श्रेणी में भर्ती अन्तिम उम्मीदवार के अंकों का दो-तिहाई)।

अधिक दीर्घकालिक उपायों के बारे में भी सोचे जाने की आवश्यकता है। सरकार को जाति तथा अहित के अन्य स्रोतों के विश्वसनीय तथ्यों के उत्पादन को सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिरूप सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) या अन्य स्वतन्त्र संगठन

से संगठित क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों और नौकरी धारकों के सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी सामाजिक पार्श्वचित्रों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का प्रबन्ध करवाने का अनुरोध किया जा सकता है। इस तरह के डाटा का अभाव भविष्य में अधिक मज़बूत तथा सटीक नीति बनाने की ओर संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, यह समय है कि सरकार ने एक स्थायी सांविधिक निकाय के रूप में एक विविधता और वंचित आयोग जैसे कुछ निकायों की स्थापना के बारे में सोचा ताकि नियमित रूप से सार्वजनिक संस्थानों के विविधता प्रोफाइल की निगरानी की जा सके और सरकार को इसे सुधारने के लिए सलाह दी जा सके।

बेहतर नीति रूपरेखा की ओर

हमारा बुनयादी तर्क यह है कि बेहतर सकारात्मक कार्यवाई नीतियाँ निम्नलिखित विशेषताएँ विकसित करने के प्रयास द्वारा रूप-रेखित की जा सकती हैं: (क) एक प्रमाण आधारित दृष्टिकोण; (ख) अहित के बहु-आयामों के प्रति संवेदनशीलता किन्तु जाति तक सीमित नहीं; (ग) अहित के विभिन्न आयामों के अन्तर-क्रिया के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता; और (घ) सापेक्ष अहित के स्तर के प्रति संवेदनशीलता।

एक प्रमाण आधारित दृष्टिकोण से हमारा अर्थ एक ऐसा नीतिगत ढाँचा जो स्पष्ट रूप से अहित से सम्बन्धित अनुभवजन्य जानकारी से आमतौर पर जुड़ा हुआ है, परन्तु आवश्यक तौर पर भूथड़े-सांख्यिकी प्रकार की जानकारी से नहीं जुड़ा हुआ। इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रमुख लाभ यह है कि यह सकारात्मक कार्यवाई – विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक हानियों के मौलिक कारणों पर प्रकाश डालता है। इससे जाति या धर्म जैसे पहचान चिन्हों को वैकल्पिक बनाने में मदद मिलती है- अर्थात, यह एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि विशिष्ट जाति या समुदाय प्रतिपूरक भेदभाव के पात्र क्यों हैं तथा ऐसे दृष्टिकोणों को कम करता है जो इन पात्रताओं को “जन्मसिद्ध अधिकार” मानते हैं। दूसरा महत्तवपूर्ण लाभ यह है कि प्रमाण आधारित दृष्टिकोणों में एक अन्तर्निहित नम्यता है- ताकि वे सापेक्ष हानियों के साँचे में समायोजित हो सकें तथा परिवर्तन प्रतिबिम्बित कर सकें। नकारात्मक पक्ष यह है कि इस तरह के दृष्टिकोण तथ्य आधारित बन जाते हैं, और तथ्य के स्रोतों की असफलता और उनके सुधार के प्रति असुरक्षित हैं। तथापि, वर्तमान में हुए लाभ अब तक हुई हानियों की तुलना में कहीं अधिक है।

हानि के कई स्रोतों के प्रति संवेदनशीलता, पारस्परिक विचार विमर्श के प्रभाव तथा हानि के स्तरों के लिए- यदि सिद्धान्त में नहीं तो ये सभी विशेषताएँ भी अभ्यास में तथ्य आधारित हैं। ऐसी संवेदनशीलता को केवल तब ही विकसित किया जा सकता है जब विचार-विमर्श के प्रभाव तथा हानि की सापेक्ष तीव्रता जैसी वस्तुओं को मापने की कोई स्थिर विधि हो। इन विशेषताओं के गुण स्वतः प्रमाण हैं- एक अधिक सूक्ष्म तथा व्यापक ढाँचा अधिक सटीक लक्ष्यीकरण की ओर अग्रसर होगा तथा, अन्य वस्तुएँ समकक्ष होंगी, यह शीघ्र और बेहतर परिणाम देगा। संक्षेप में, नीतिपरक नैतिक निबन्धन में इस तरह के दृष्टिकोण न केवल नैतिक रूप से मज़बूत होते हैं अपितु व्यवहारिक क्षमता निबन्धन अर्थात, कीमत को कम करने तथा लाभ को बढ़ाने में भी होते हैं। हानि यह है कि नीति रूपरेखा बहुत अधिक जटिल बन जाती है तथा इसमें अन्तर्निहित संस्था सम्बन्धी यन्त्र संरचना भंगुर बन जाती है। इस तरह की नीतियाँ जाँच करने में भी बहुत अधिक कठिन हैं। परन्तु एक बार फिर, लाभ कीमतों से अधिक हैं।

हम नीचे कुछ प्रमाणों के प्रकार दे रहे हैं जो नीति रूप-रेखन में प्रयोग किए जा सकते हैं। जबकि हमने राष्ट्रीय प्रतिरूप सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) तथा विकासशील समाजों के लिए अध्ययन केन्द्र (सीएसडीएस) के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के जिन तथ्यों का प्रयोग किया है, उन्हें केवल उदाहरण के प्रयोजन से लिया गया है। अन्य स्रोतों (जैसे जनगणना या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) से समान अथवा सम्बन्धित तथ्यों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सम्मेलनों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है। सबसे ऊपर, हमें सामाजिक सांख्यिकी, जो पहचान सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने के अत्यधिक और तर्कहीन भय से भंग हो जाते हैं, के प्रति अधिक सक्रिय अभिवृत्ति की आवश्यकता है ।

तालिका 1: उच्च शिक्षा में असमानता, 1999-2000

जातियाँ /समुदाय	ग्रामीण भारत	शहरी भारत
अनुसूचित जनजातियाँ	1.1	10.9
अनुसूचित जातियाँ	1.2	4.7
मुसलमान	1.3	6.1
हिन्दू - अन्य पिछड़ी जातियाँ	2.1	8.6
सिख	2.8	25.0
इसाई	4.7	23.7
हिन्दू -उच्च जातियाँ	5.3	25.3
अन्य धर्म	5.4	31.5
सम्पूर्ण भारत औसत	2.6	15.5

कक्ष 20 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या के स्नातकों का प्रतिशत दर्शाता है।
स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिरूप सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें दौर सर्वेक्षण की गणना, 1999-2000.

तालिका 1, ग्रामीण तथा शहरी भारत के विभिन्न जातियों तथा समुदायों में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में स्नातकों की प्रतिशतता दर्शाता है। ग्रामीण भारत में केवल 1 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमान समुदाय के लोग स्नातक हैं, जबकि हिन्दू उच्च जातियों के लोगों की गिनती 5 प्रतिशत की दर से चार से पाँच गुना अधिक है। वास्तविक असमानता शहरी भारत में है, जहाँ विशेष रूप से अनसूचित जातियाँ, किन्तु मुसलमान, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियाँ भी अगड़े समुदायों तथा एक चौथाई या उससे अधिक स्नातक जनसंख्या वाली जातियों से बहुत पीछे हैं।यह देखने का एक और तरीका है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुसलमान तथा अन्य पिछड़ी जातियों का वर्ग राष्ट्रीय औसत से सर्वदा नीचे रहता है जबकि अन्य समुदाय और विशेष रूप से उच्च हिन्दू जातियाँ, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में, इस औसत से बहुत ऊपर है।

तालिका 2: अधिक और कम प्रतिनिधित्व के समूह, 1999-2000

जाति और समुदाय समूह	ग्रामीण भारत	शहरी भारत
अनुसूचित जनजातियाँ	43	71
अनुसूचित जातियाँ	47	30
मुसलमान	52	39
हिन्दू - अन्य पिछड़ी जातियाँ	82	56
सिख	10	164
इसाई	200	154
अन्य धर्म	205	164
सम्पूर्ण भारत औसत	200	200

कक्ष 20+ की जनसंख्या के समूह के भाग के प्रतिशतता के रूप में सभी स्नातकों का समूह का भाग दर्शाते हैं। 100 से नीचे के अंक कम प्रतिनिधित्व को प्रकट करते हैं, 100 से अधिक अंक अधिक प्रतिनिधित्व को प्रकट करते हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिरूप सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें दौर सर्वेक्षण की गणना, 1999-2000.

तालिका 2, 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के भाग की तुलना में स्नातकों के राष्ट्रीय समुच्चय में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के भाग को दर्शाता है। अन्य शब्दों में, यह तालिका हमें बताती है कि कौन से समूह स्नातक के अनुपातिक से अधिक (या अनुपातिक से कम) भाग वाले हैं। पुनः, ग्रामीण हिन्दू अन्य पिछड़ी जातियों तथा शहरी अनुसूचित जनजातियों के अपवादों के साथ (जो कि कम प्रतिनिधित्व के समूह में है, किन्तु कम गम्भीरता से), यही समूह कम प्रतिनिधित्व किए गए हैं, जबकि उच्च हिन्दू जातियाँ, अन्य धर्म (जैन, पारसी, बौद्ध, आदि) तथा इसाई स्नातकों में अर्थपूर्णता से अधिक प्रतिनिधित्व किए गए हैं। इस प्रकार, उच्च हिन्दू जातियों के स्नातकों का भाग, उनके क्रमश: शहरी तथा ग्रामीण भारत की 20 से अधिक आयु वाली जनसंख्या से दुगनी और 1½ गुना है। उदहारण के लिए, शहरी अनुसूचित जातियों तथा मुसलमानों की तुलना करें, जिनका 20 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या में स्नातकों का भाग केवल क्रमश: 30 प्रतिशत और 39 प्रतिशत है। इस बात पर प्रभाव डाला जाना चाहिए कि ये तथ्य राष्ट्रव्यापी संस्थानों के सभी स्नातकों का उल्लेख करता है - अगर हम विशिष्ट पेशेवर संस्थानों को देखना चाहते हैं, उच्च जातियों तथा अगड़े समुदायों के सापेक्ष प्रभुत्व के बहुत अधिक मज़बूत होने कि सम्भावना है, यद्यपि जो तथ्य ऐसे

व्याख्यानों को प्रमाणित या अप्रमाणित कर सकते हैं, ऐसे संस्थानों ने उन्हें प्रकाशित करने से मना कर दिया है।

ऊपर दी गई तालिकाएँ सबसे सरल तथा सबसे सटीक प्रकार की जानकारी देता है जो कि सकारात्मक कार्यवाई आयोजन के रूप-रेखन में अन्तर्निहित हो सके। राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे के स्नातकों का सापेक्षिक रूप से कम प्रतिनिधित्व या समानुपात सकारात्मक कार्यवाई को लक्षित करने के लिए, विशिष्ट जातियों, समुदायों अथवा अन्य प्रकार के समूहों में मान्य तथा पारदर्शी आधारों का गठन कर सकता हैं। सापेक्षिक हानि का स्तर का इस तरह के तथ्यों से अनुमान तथा नीति की जाँच करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

तालिका 3 हानियों के विभिन्न प्रकार या स्रोतों के मध्य सम्पर्क प्रभाव के उदाहरण, इस स्थिति में जाति एवं समुदाय, श्रेणी तथा लिंग, देकर स्पष्ट करता है। यह 2004 में हुए सीएसडीएस के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन से तैयार किया गया है तथा विभिन्न आर्थिक स्तरों से सम्बद्ध विभिन्न जाति- समुदाय समूहों के स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि धारक पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत दर दर्शाता है। "सभी जाति-समुदायों" के लिए पहली तीन पंक्तियाँ हमें लिंग और श्रेणी का संचालन दिखाती हैं। सभी समुदायों तथा श्रेणियों के महिलाओं और पुरुषों के आँकड़े यह स्पष्ट रुप से दर्शाते हैं कि शिक्षा प्राप्ति में एक बहुत बड़ा लिंग अन्तर है। पुरुषों में उच्च शिक्षित लोगों में 3.4 प्रतिशत है तथा पुरुषों की तुलना में महिलाएँ 1.4 प्रतिशत शिक्षित हैं। सभी समुदायों के लिए विभिन्न श्रेणियों के आँकड़े आर्थिक असमानता के संचालन के बारे में एक समान बिन्दु बनाते हैं: जैसे जैसे हम आर्थिक स्तर पर नीचे जाते हैं, उच्च शिक्षित लोगों का अनुपात भी शीघ्रता से नीचे विशेषत: नीचे के तीन स्तरों में, जाता है, यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए सत्य है।

तालिका 3: जाति/समुदाय, श्रेणी तथा लिंग द्वारा स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि धारकों का प्रतिशत: राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के तथ्य

		सभी श्रेणियाँ	धनी	मध्यम	निम्न मध्यम	निर्धन	अत्यधिक निर्धन	N
सभी जातीय समुदाय	सभी	2.5	8.1	6.8	1.6	0.8	0.6	26829
	पुरुष	3.4	9.8	9.1	2.2	1.2	1	14345
	महिला	1.4	5.8	3.9	0.8	0.4	0.1	12484
उच्च जातीय हिन्दू द्विज	सभी	5.6	13.6	8.8	2.7	1.7	0.5	4148
	पुरुष	7.4	17.8	10.3	3.9	2.7	1	2230
	महिला	3.5	8.3	7.3	1.4	0.3	0	1918
हिन्दू तथा सिख मध्यस्थ जाति (अद्विज, गैर-अन्य पिछड़ी जाति)	सभी	2.8	6.2	4.6	0.7	1.2	0.8	2521
	पुरुष	3.5	7.3	5.8	1.2	0.9	1.7	1361
	महिला	2	4.8	3.4	0	2.2	0	1160
अन्य पिछड़ी जातियाँ (हिन्दू तथा सिख)	सभी	1.8	5.8	6.6	1.1	0.7	0.7	9505
	पुरुष	2.7	6.2	10.1	1.6	1.3	1.3	5020
	महिला	0.8	5.2	1.9	0.4	0.1	0.1	4485
अनुसूचित जातियाँ (कोई भी धर्म)	सभी	1.4	4.2	8	1.6	0.5	0.4	4278
	पुरुष	2.1	2.3	11.7	2.8	0.7	0.8	2287
	महिला	0.6	5	2.6	0.2	0.2	0.1	1991
अनुसूचित जनजातियाँ (कोई भी धर्म)	सभी	0.9	1.9	6.1	1.4	0.6	0.4	2181
	पुरुष	1.3	3.3	1	1.6	0.3	0.7	1185
	महिला	0.5	0	1.8	1.1	0.5	0.2	996
मुसलमान	सभी	1.8	7.1	4	1.5	0.3	0	2963
	पुरुष	2.5	10.1	6	1.2	0.5	0	1638
	महिला	0.9	1.7	1.6	2	0	0	1327
इसाई	सभी	3.3	13.2	7.8	1.8	0.8	0	630
	पुरुष	3	11.1	5.7	3.3	1.5	0	302
	महिला	3.7	15	9.5	0	0	0	328

टिप्पणी: सभी आंकड़े उस श्रेणी के उत्तरदाताओं के प्रतिशत को दर्शाते हैं जिनके पास व्यावसायिक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि है। जो आंकड़े 50 से कम घटनाओं पर आधारित हैं उन्हें कोष्टक के अन्तर्गत रखा गया है। श्रेणी वर्ग आय के आत्म-विवरित तथ्यों तथा संपत्ति के अधिकार के पर्यवेक्षित तथ्यों पर आधारित हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004, सीएसडीएस डाटा यूनिट। यह तथ्य राज्य जनसंख्या द्वारा भारित हैं।

'सभी श्रेणियों' के लिए पहले खण्ड पर डाली गई दृष्टि यह दर्शाती है कि हिन्दू जाति का पारम्परिक उच्च शिक्षा में पदानुक्रम अभी भी महत्त्व रखता है। 5.8 प्रतिशत पर "हिन्दू द्विज" (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कायस्थ, इसके समकक्ष जातियों जैसे उत्तर भारत के भूमिहार और ठगी, बंगाल के बोड्डी (boddi) तथा उत्तर पूर्वी भारत के खत्री) अभी भी उच्च शिक्षा प्राप्ति में अन्य सामाजिक समूहों से बहुत आगे है। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में नीचे जाते हैं, मध्यवर्ती जातियों (गैर द्विज और गैर अन्य पिछड़ी जातियों जैसे जाट सिख, मराठा, रेड्डी, नय्यर, पाटीदार, आदि) के आंकड़े 2.8 प्रतिशत तक गिर आए हैं, सभी अन्य पिछड़ी जातियों(मुसलमान तथा ईसाई को छोड़कर) के लिए 1.8 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कम है। मुसलमानों का उच्च शिक्षित भाग हिन्दुओं तथा सिख अभी भी अन्य पिछड़ी जातियों के समान है। शिक्षा प्राप्ति में ईसाइयों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया तथा वे शिक्षा प्राप्ति में हिन्दू द्विजों से पीछे हैं।

यह तालिका इन तीनों चरों के वार्तालाप को भी अंकित करती है। हमने पहले ही देखा है कि प्रत्येक आर्थिक स्तर के भीतर लिंग महत्त्व रखता है। जैसे जैसे हम धनी से निर्धन की ओर जाते हैं लिंग अन्तर बढ़ता जाता है: सबसे निर्धन में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त करने की 10 गुना अधिक सम्भावना है; जबकि धनियों में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की उच्च शिक्षा उपाधि प्राप्त करने की केवल 1.7 गुना सम्भावना है। प्रत्येक जाति समुदाय में लिंग भी महत्त्व रखता है, ईसाई समुदाय के अतिरिक्त जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएँ सीमांत रूप से बेहतर होती हैं। यहाँ पुनः लिंग अन्तर सामाजिक पदानुक्रम के निचले छोर में व्यापक है: उच्च जाति के पुरुषों की तुलना में उच्च जाति महिलाएँ जितनी क्षतिग्रस्त हैं उसकी तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और मुस्लिम समाज की महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त है।

तालिका 3 जाति समुदाय तथा श्रेणियों के मध्य वार्तालाप का एक उपयोगी चित्र प्रदान करती है, जो कि कारक के रूप में ऊपरी छोर पर शैक्षिक अवसरों में महत्त्व रखते हैं। यह दर्शाता है कि जाति समुदाय में श्रेणी महत्त्व रखती है, एक ऐसा बिन्दु जो जाति आधारित आरक्षण के समर्थकों द्वारा पर्याप्त रूप से पहचाना नहीं गया है। जैसे जैसे हम प्रत्येक जाति समुदाय में आर्थिक स्तर पर नीचे जाते हैं शिक्षा प्राप्ति का स्तर बड़ी संख्या में नीचे गिर जाता है। इस नियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त शैक्षिक शर्तों में मध्य वर्गीय श्रेणी की तुलना में धनियों का प्रदर्शन बहुत अधिक खराब रहा है, उस स्तर पर शैक्षिक अवसरों तथा आर्थिक संसाधनों के सम्भावित संयोजन का प्रस्ताव किया गया है। जैसे ही हम मध्य वर्गीय श्रेणी से नीचे जाते हैं, हमें सभी अन्य जाति समुदायों के समान एक प्रतिरूप प्राप्त होता है। प्रत्येक जाति समुदाय समूह में आर्थिक स्तर पर निम्न मध्यम, या निर्धन या अति-निर्धन लोगों के पास उन्हीं के जाति समुदाय समूह के शीर्ष दो वर्गों की तुलना में विशेष रूप से उच्च शिक्षा तक पहुँचने के बहुत कम अवसर हैं।

तालिका 3 यह भी दर्शाती है कि जाति प्रत्येक श्रेणी में महत्त्व रखती है, जिसे उत्साहपूर्ण लोगों द्वारा बहुधा अनदेखा किया जाता है। यह बिन्दु जाति और वर्ग या श्रेणी पदानुक्रम के निचले छोर की तुलना में ऊपरी छोर पर अधिक वैध है। एक ही आर्थिक स्तर के अन्तर्गत, हिन्दू द्विज किसी और जाति समुदाय की तुलना में कहीं अधिक उच्च शिक्षित है। इसी प्रकार, धनियों में, शैक्षिक प्राप्ति गिर जाती है जैसे-जैसे हम जाति पदानुक्रम पर नीचे जाते हैं। यह सम्बन्ध निचले छोर पर अधिक निर्बल है: निम्न माध्यम, निर्धन तथा अति-निर्धन आर्थिक स्तरों में, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों में कोई व्यवस्थित मतभेद नहीं है। इस छोर पर श्रेणी का प्रभाव उच्च शिक्षा के पहुँच अनुकूलन में जाति के प्रभाव पर हावी होता प्रतीत होता है।

अब यह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि एक प्रमाण आधारित दृष्टिकोण क्या है तथा ये सापेक्षिक हानि में कैसे पहले पहचान और फिर पारस्परिक विचार-विमर्श साथ ही साथ श्रेणी व्यवस्था की तीव्रता को प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्टतः, विभिन्न तथ्य स्रोत के पास विभिन्न शक्तियाँ और दुर्बलताएँ होंगी, और उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिए, एनएसएसओ सर्वेक्षण

राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र तथा अति-स्थिर पद्धति प्रदान करता है, परन्तु यह अति-विस्तृत जाति गुटों से परे जानकारी प्रदान करने में असमर्थ है। एनइएस सर्वेक्षण इस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है, किन्तु इसके पास भी केवल सीमित कार्यक्षेत्र है।) जबकि जानकारी के उपलब्ध स्रोतों को इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए, यह आदर्श होगा यदि समर्पित सामाजिक सर्वेक्षणों को एक सकारात्मक कार्यवाई समाचार प्रदान करने के लिए समय-समय पर आयोजित किया जा सकता है।

एक वैकल्पिक आदर्श

इस अनुभाग में हम उच्च और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक योजना की तरह प्रतीत हो रहे एक ठोस उदाहरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा आदर्श प्रमाण आधारित है तथा पिछले अनुभाग में दर्शाए गए तथ्यों के प्रकारों का प्रयोग करते हुए परिकल्पना करता है। यह समूह हानियों के चार मुख्य आयामों - जाति/समुदाय, लिंग, क्षेत्र तथा निवास के क्षेत्रक (यानि शहरी/ग्रामीण निवास) को सम्बोधित करता है। विद्यालय के स्थान, जहाँ 10वीं की परीक्षा ली गई थी, पर आधारित ग्रामीण तथा शहरी उम्मीदवारों के अलग-अलग मूल्यांकन हैं। पिछड़ेपन के सामान्य सूचक जैसे कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय योजना में प्रयोग किए गए सूचकों के आधार पर क्षेत्र को तीन कटिबंधों में विभाजित किया गया है। उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में सापेक्षिक पिछड़ेपनका सहमति आनुभविक सूचक के आधार पर जाति तथा समुदायों को हानि बिन्दुओं से अंकित किया गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सभी समूह हानि के मूल्यांकन आनुभाविक प्रमाण के आधार पर किए जाते है न कि केवल समूह सदस्यता के आधार पर होते है।

समूह हानियों के साथ, यह योजना व्यक्तिगत हानियों को भी समझाती है। जबकि एक बड़ी संख्या में कारक व्यक्तिगत हानियों (पारिवारिक इतिहास, पीढीगत साक्षरता की गहराई, सहोदर शिक्षा, आर्थिक संसाधन, आदि) को सुनिश्चित करता है, हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत हानियों के दो ठोस सूचक हैं जो कि सक्रियता से सार्वजानिक संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था में प्रयोग किए जा सके: पैत्रिक व्यवसाय तथा उस विद्यालय का प्रारूप जहाँ से व्यक्ति ने उच्च विद्यालय की शिक्षा उत्तीर्ण की हो। यह दोनों चर हमें पारिवारिक इतिहास तथा आर्थिक स्थिति समेत अधिकांश व्यक्तिगत हानियों के प्रभाव को अधिकृत करने की अनुमति देते हैं।

नीचे दी गई तालिकाओं में हम उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि इस योजना को किस प्रकार संचालित किया जाए। यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि यहाँ प्रस्तावित महत्त्व सम्भावित हैं, सीमित जानकारी पर आधारित हैं, तथा केवल यह दर्शाने के लिए हैं कि यह योजना कैसे काम करती है।शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन तथा सामाजिक हानि को आवंटित किया जाने वाला सटीक महत्त्व एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसे केवल अधिक प्रमाणों कि जाँच के पश्चात् ही निश्चित किया जा सकता है, यह 90:10, 70:30 या कोई और अनुपात हो सकता है। केवल उदाहरण के प्रयोजन से, हम यहाँ एक 80:20 का अनुपात मानते हैं, यानि, शैक्षिक अंक 0-80 के पैमाने पर मानकीकृत अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि सामाजिक हानि के अंक 0-20 तक सीमित होगा। (ध्यान दें कि सामाजिक हनी के अंकों को अधिकतम 20 अंक तक छायाकृत किया जा रहा है हालाँकि अभ्यर्थियों के लिए तालिकाओं ए1, ए2, बी तथा सी के अनुसार उच्च प्राप्त करना सैद्धान्तिक रूप से सम्भव है।)

तालिका ए 1 : ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए समूह हानि: जाति-समुदाय, क्षेत्र तथा लिंग

समुदाय/आव्यूह		आव्यूह 1 सबसे पिछड़े	आव्यूह	आव्यूह 3 सबसे विकसित
"निम्न" अन्य पिछड़ी जाति/ एम पिछड़ी जाति/ मुस्लिम अन्य पिछड़ी जाति	महिला	20	18	16
	पुरुष	16	14	12
"उच्च" अन्य पिछड़ी जाति/ गैर-अन्य पिछड़ी जाति मुस्लिम	महिला	18	16	14
	पुरुष	15	13	11
अन्य सभी	महिला	12	10	8
	पुरुष	10	8	6

तालिका ए 2: शहरी विद्यार्थियों के लिए समूह हानि: जाति-समुदाय, शहर का आकार तथा लिंग

समुदाय/आव्यूह		1,00,000 तक	5,00,000 तक	10,00,000 तक	लाख से अधिक शहरों में
"निम्न" अन्य पिछड़ी जाति/ एम पिछड़ी जाति/ मुस्लिम अन्य पिछड़ी जाति	महिला	14	12	10	8
	पुरुष	11	9	7	5
"उच्च" अन्य पिछड़ी जाति / गैर-अन्य पिछड़ी जाति मुस्लिम	महिला	12	10	8	6
	पुरुष	10	8	6	4
अन्य सभी	महिला	4	3	2	1
	पुरुष	2	1	0	0

टिप्पणियाँ :

1) यदि किसी उमीदवार के माता-पिता "नवोन्नत वर्ग" (एनसीबीसी द्वारा परिभाषित) के अन्तर्गत आते हैं, तो उस उम्मीदवार को तालिका ए1 या ए2 में दिए गए समूह हानि अंकों को आधा कर दिया जाएगा।
2) निम्न तथा उच्च अन्य पिछड़ी जातियों की सूची एनसीबीसी के द्वारा तैयार की गई है।
3) क्षेत्रों जॉन को जिलों द्वारा वर्गीकृत किया जाना है। एक उमीदवार को उसी जिले के अन्तर्गत माना जाएगा जहाँ पर उसका विद्यालय स्थित है। जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालय का वर्गीकरण प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
4) यहाँ प्रस्तुत बिन्दु केवल सूचक हैं। जब योजना संचालित की जाती है, तो इन बिन्दुओं को प्रत्येक तालिका के प्रत्येक कक्ष में वर्णित प्रत्येक सामाजिक समूहों और श्रेणियों की के शैक्षणिक हानियों के तथ्यों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

तालिकाएँ ए 1 तथा ए 2 यह दर्शाते हैं कि क्रमश: ग्रामीण तथा शहरी निवास स्थानों को किस प्रकार समूह हानि के अंक दिए जा सकते हैं।(जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जहाँ 10वीं कि परीक्षा ली गई थी, उस विद्यालय से दूरी के आधार पर निवास का निर्धारण किया जाएगा। यह जानकारी साधारणतः पहले से ही अधिकांश आवेदन पत्रों में उपलब्ध है।) यहाँ पर समूह हानियों के तीन संक्षेपों को माना गया है: किसी क्षेत्र का सापेक्षिक पिछड़ापन, उसमें रहने वाले व्यक्ति की जाति, समुदाय (यहाँ केवल गैर-अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समूह ही माने गए हैं) तथा व्यक्ति के लिंग से आता है।शीर्षपंक्ति में कटिबन्ध क्षेत्रों के वर्गीकरण को सन्दर्भित करता है- यह राज्य, उप-राज्य क्षेत्र, अथवा यहाँ तक की जिला स्तर पर भी हो सकता है- साधारणतः प्रयोग किए गए पिछड़ेपन के संकेतकों पर आधारित है। इस प्रकार, कटिबन्ध 1 सबसे पिछड़ा

क्षेत्र है जबकि कटिबन्ध 3 सबसे विकसित क्षेत्र है। इस प्रकार प्रत्येक जाति समूह तथा लिंग के लिए बायीं से दायीं ओर हानि के अंक कम होंगे। यहाँ परिचित जातियों तथा समुदायों को निर्धनता/गरीबी के सामान स्तरों तथा शिक्षा संकेतकों के अनुसार जोड़ा गया है।(पुनः इसके विवरण पर सहमति हो सकती है।) निम्न अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा सबसे पिछड़ी जातियाँ(जैसा कि एनसीबीसी मापदण्ड अथवा राज्य सूचियों द्वारा निर्धारित है), अन्य पिछड़ी जातियों के मुसलमान अथवा शिक्षित, समृद्ध वर्ग, आदि में सबसे अधिक वंचित है अथवा सबसे कम वर्णित/प्रतिनिधित है, जबकि उच्च जातीय हिन्दू, सिख (गैर-अनुसूचित जाति,गैर-अन्य पिछड़ी जाति), इसाई (गैर-अनुसूचित जनजाति, गैर-अन्य पिछड़ी जाति), जैन, पारसी, आदि को सबसे “अग्रिम” समुदाय माना जाता है। इस प्रकार हानि अंक ऊपर से नीचे की ओर कम होते हैं।लिंग इस आव्यूह में बनाया गया है, महिलाओं को उनकी अन्य विशेषताओं, जैसे क्षेत्र तथा जाति के आधार पर हानि के अंक प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, इन तालिकाओं में दी गई काल्पनिक संख्याएँ सभी चार मापदण्डॉ पर आधारित सापेक्ष हानि के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है - जैसे कि जाति/समुदाय, लिंग तथा क्षेत्र, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को पृथक रूप से माना गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण, ये तालिकाएँ इन चरों की अन्तःक्रिया के प्रभावों को भी अधिकृत करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार, एक महिला जो निम्न अन्य पिछड़ी जाति, मुस्लिम पिछड़ी जाति अथवा मुस्लिम अन्य पिछड़ी जाति समूह से है, यदि वह ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसे अधिकतम 20 अंक दिए जाते हैं तथा यदि वह किसी 1 लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बे से है तो उसे अधिकतम 14 अंक दिए जाते हैं। दूसरे चरम पर, एक पुरुष जो कि अग्रिम समुदायों के सबसे विकसित क्षेत्र यानि 1 लाख से अधिउक जनसँख्या वाले शहरी मेट्रो से हो, उसको कोई हानि अंक नहीं दिए जाते, परन्तु यदि वह किसी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो, उसे 6 अंक दिए जाते हैं।

तालिका बी: व्यक्तिगत हानि: शिक्षा के प्रकार

	गाँव/क़स्बा 20,000 तक	क़स्बा 1,00,000 तक	शहर 10,00,000 तक	10 लाख से अधिक शहरों में
साधारण सरकारी विद्यालय	6	5	4	3
निजी विद्यालय (गैर-अंग्रेजी माध्यम)	3	2	1	0
निजी विद्यालय (अंग्रेजी	2	1	0	0

माध्यम)				
विशेष रहवासी सरकारी विद्यालय (नवोदय/सैनिक)	1	1	0	0
अनन्य/रेवासी "सार्वजनिक" विद्यालय	0	0	0	0

तालिका सी: व्यक्तिगत हानि: पारिवारिक पृष्ठभूमि

माता का व्यवसाय	पिता का व्यवसाय		
	प्रबन्ध कीय/वृत्तिक/बड़ा व्यवसाय/श्रेणी 1 तथा 2	लिपिक/ निम्न वृत्तिक /माध्यम व्यवसाय/श्रेणी 3 तथा 4	अन्य सभी
प्रबन्ध कीय/ व्यावसायिक /बड़ा व्यवसाय/श्रेणी 1 तथा 2	0	0	0
लिपिक/ निम्न वृत्तिक /माध्यम व्यवसाय/श्रेणी 3 तथा 4	0	1	2
अन्य सभी (गैर-आयकर भुगतान)	0	2	4

तालिकाएँ बी तथा सी व्यक्तिगत हानि निर्धारित करने में एक समान विधि से कार्य करती हैं। इन तालिकाओं में से, सभी चर समूहों को बाहर रखा गया है। तालिका बी उस विद्यालय जहाँ से उस व्यक्ति ने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तथा गाँव, कस्बा अथवा शहर जहाँ वह विद्यालय स्थित है, के प्रकार पर दृष्टि डालती है। यदि कोई किसी गाँव अथवा छोटे कस्बे के किसी साधारण सरकारी विद्यालय में जा रहा है तो उसे इस क्षेत्र में अधिकतम 6 अंक दिए जाते हैं। विद्यालयों का उन्नयन शिक्षा तथा निहित परिवार संसाधनों के अनुसार किया जाता है तथा यह परिष्कृत भी किया जा सकता है। एक अनन्य अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल (सार्वजनिक विद्यालय) के छात्र को कोई हानि अंक प्राप्त होता।

तालिका सी पारिवारिक संसाधनों (जैसे कि आय, धन, आदि जिसका सीधे पता लगाना कठिन है) के लिए अभिभावकों के व्यवसाय पर एक प्रतिनिधि की भाँति दृष्टि डालती है। हमने यहाँ दिए जाने वाले अंकों को 3 पर सीमित कर दिया है, परन्तु इसे अनुभव के आधार पर बदला जा सकता है। उन माता-पिता के बच्चे जो कि संगठित क्षेत्र से बाहर हैं तथा कर योग्य आय के स्तर के नीचे हैं, उन्हे अधिकतम अंक प्रदान किए जाते हैं, तथा माता-पिता दोनों की आय पर विचार किया गया है। जिनके माता-पिता श्रेणी 1 या 2 की सरकारी नौकरी अथवा प्रबन्धकीय या व्यावसायिक नौकरी करते हैं, उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाते। संगठित क्षेत्र में मध्यवर्ती नौकरियों, सरकार में श्रेणियों 3 तथा 4 की नौकरियों को असंगठित क्षेत्र को कम आय के क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में अधिक उत्तम माना जाता है।

तीनों क्षेत्रों के अंकों को मिलाने पर यह कुल हानि अंक प्रदान करेगा, जो बाद में प्रत्येक उम्मीदवार के अन्तिम अंक प्रदान करने के लिए मानिकीकृत शैक्षिक योग्यता के अंक में जोड़ा जा सकता है। सभी गैर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के प्रवेश, जो कि सभी स्थानों (सीटों) का कुल 77.5 प्रतिशत है, इस अन्तिम पर निर्भर हो सकता है।

विशिष्टताएँ एवं लाभ

एक ओर जहाँ ये दोनों जाति-गुट आरक्षण/कोटा (सरकार तथा हमारे जैसे प्रस्तावों द्वारा मूलभूत रूप से अपनाया गया है) सकारात्मक कार्यवाई से प्रतिबद्धता तथा शैक्षिक अवसरों को विस्तारित करने की इच्छा साझा करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी योजना इससे कई प्रकार से भिन्न है। सरकारकी विधि “आरक्षित” सीटों/स्थानों का एक गुट बनाएगी। हमारा प्रस्ताव उन सभी स्थानों/सीटों पर लागू होता है जिनका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के मौजूदा आरक्षण द्वारा आवरण नहीं किया गया है। सरकारी प्रस्ताव केवल समूह हानियों से परिचित है तथा शैक्षिक असमानता में समूह हानि के एकमात्र मानदण्ड के रूप में जाति का उपयोग करता है। हम भी समूह हानि के महत्त्व को तथा शिक्षित असमानता के एकल और सबसे महत्त्वपूर्ण भविष्यवक्ता के रूप में जाति को स्वीकार करते हैं।परन्तु हमारी योजना क्षेत्र तथा लिंग जैसे अन्य समूह हानियों को प्रकाशित करके परिचय को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।इसके अतिरिक्त, हमारी योजना विभिन्न हानियों (जैसे कि क्षेत्र, जाति तथा लिंग, या विद्यालय का प्रकार तथा क्षेत्र का प्रकार, आदि) के मध्य अन्तःक्रिया के प्रभावों को

सम्बोधित करने में सक्षम है। समूह हानियों की पहचान करते समय, हमारी योजना पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा विद्यालय की शिक्षा के प्रकार से सम्बन्धित व्यक्तिगत हानियों को थोडा महत्त्व देती है। हमारी योजना यह भी दर्शाती है कि सभी जातियों के लोग व्यक्तिगत हानियों से जूझ सकते हैं, तथा उच्च जातियों के इस प्रकार की हानियों के लिए समाधान प्रदान करता है।

जहाँ सरकारी प्रस्ताव हानि को पहचानने के लिए सभी अथवा किसी भी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है (या तो आप एक अन्य पिछड़ी जाति व्यक्ति है अथवा नहीं), वहीं हमारा प्रस्ताव हानि के स्तरों में विविधताओं से निपटने में नम्यता की अनुमति देता है।

सार में, यहाँ हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना नई नहीं है - इस प्रकार के विचार कुछ समय के लिए आस-पास रहे हैं। हम स्वयं ही उच्च शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय साहचर्य कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया के लिए ऐसी योजना को रूप-रेखित तथा कार्यान्वित करने में सम्मिलित थे, जहाँ यह कुछ वर्षों तक सफल रहा। इसी के समान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी प्रवेशों को विनियमित करने के लिए उपयोग किया गया है, तथा एक सम्बन्धित किन्तु कुछ मापदण्डॉ पर भिन्न योजना जवाहरलाल नेहरू के पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा सुझाई गई है। संक्षेप में, इस प्रकार विचारों में बहुत व्यापक स्वीकार्यता है तथा यह विभिन्न सन्दर्भों में विभिन्न विद्वानों तथा प्रशासकों द्वारा यह स्वतंत्र रूप से पहूँचे हैं। जाति आरक्षण/कोटा के सरलतम सम्भावित विकल्प के सापेक्षिक अपनी अधिक जटिलता के बाद भी, ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित/लागू करना उत्तम प्रकार से सम्भव है, बड़े पैमाने पर विस्तार के बाद भी कुछ सन्दर्भों में सम्मिलित है।

अन्तिम विश्लेषण में, एक योजना का सबसे आलोचनात्मक लाभ जैसे कि प्रस्तावित कर रहे हैं यह है कि यह सामाजिक न्याय के बारे में रचनात्मक तथा तर्कसंगत ढंग से सोचने में मदद करता है। जाति-आधारित सकारात्मक कार्यवाई नीतियों की अपरिहार्य दुविधाओं में से एक यह है कि वे जाति की पहचान को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते हैं। यह बहस विचलित हो जाती है क्योंकि यह वैध सामाजिक कारणों से कि ये पहचानें हानि के संकेतकों के रूप में क्यों उपयोग की जा रही हैं, के स्थान पर पहचानों पर ही ध्यान केन्द्रित करता है। हमारी योजना स्पष्ट रूप से जाति की पहचानों को हानि के पर्याप्त अनुभवजन्य संकेतकों से जोड़ती है। इस प्रकार यह जाति को अनावश्यक बनाने तथा इन समुदायों द्वारा की गई सापेक्षिक प्रगति पर ध्यान केन्द्रित

करने में मदद करती है। पद निरीक्षण करने के लिए विशिष्ट समूहों के आवंटित पारदर्शी संकेतक आवश्यक जाँच तथा अतिदृष्टि के साथ ही साथ वैध बहस करने की अनुमति देते हैं। यह योजना विभिन्न समूहों के बदलते सापेक्ष पदों के अनुसार नीतियों को लचीले रूप से जाँच करने की अनुमति देती है। यह स्वतः निर्धन/गरीब या वंचित उच्च जातियाँ, अथवा निम्न जातियों में नवोन्नत वर्ग को रोकना, आदि जैसे कष्टप्रद मुद्दों को भी स्वचालित रूप से सम्बोधित करती है। संक्षेप में, यह हमें खुले तथा लेखादेय व्यवहार में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है कि सकारात्मक कार्यवाई "तुष्टिकरण" के बारे में नहीं बल्कि हमारे असमान तथा अन्यायी समाज में होने वाली ठोस हानियों के निरन्तर साधनों के उन्मूलन के बारे में है।

Email: yogendra.yadav@gmail.com
sdeshpande7@gmail.com

टिप्पणियाँ

[यहाँ दी गई योजना को कई मित्रों, सहकर्मियों और वार्ताकारों की टिप्पणियों और आलोचनाओं से लाभ हुआ है। हम पीटर डीसूजा, गोपाल गुरू, मैरी ई जॉन, सुहास पलशीकर, उदित राज, महेश रंगराजन, घनश्याम शाह, मिहिर शाह, सैयद शहाबुद्दीन, अब्सलेह शरीफ और धीरूभाई शेठ का धन्यवाद करते हैं। लेख के भाग या पूर्व संस्करण भेदभाव और बहिष्कार के अध्ययन के लिए कार्यक्रम द्वारा आयोजित घटनाओं पर प्रस्तुत किए गए थे, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(27 अप्रैल); विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए केन्द्र(28 अप्रैल) और सहमत (19 मई); हम एनएसईएस तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपने सहयोग और सीएसडीएस डाटा यूनिट के लिए धन्यवाद करते हैं। इस योजना का एक अलग और बहुत छोटा संस्करण द हिन्दू(22 मई और 23 मई, बाद में हिन्दी में अमर उजाला और लोकसत्ता में मराठी में अनुवादित) में प्रकाशित हुआ और सीएनएन-आईबीएन (18 मई) और डीडी न्यूज (28 मई) के कार्यक्रमों में चर्चा की गई।) खण्ड “द्वितीय मंडल : जो रास्ते अपनाए नहीं गए” उस सामग्री का प्रयोग करता है जो टाइम्स ऑफ इण्डिया (31 मई) में प्रकाशित हुई। हम उन ई-मेल उत्तरदाताओं के बहुत से धन्यवाद करते हैं, जो नामित और "कलम-नामित" दोनों हैं, जिनमें से अधिकांश ने दृढ़तापूर्वक और कभी-कभी अपमानजनक तरीके से असहमति महसूस की।]

1. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय प्रवेश नीति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, परन्तु अन्य वंचित समूहों के लिए जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर अभाव अंक की एक प्रणाली संचालित करती है। प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार अधिकतम 10 अभाव अंक (जो योग्यता अंकों पर जोड़े जाते हैं) तक जा सकते हैं, वे हैं: अन्य पिछड़ी जाति के लिए पाँच अंक (अन्य पिछड़ी जाति महिलाओं के लिए 10); सबसे पिछड़े क्षेत्रों (कम पिछड़े क्षेत्रों के लिए तीन) के लिए पाँच अंक; और अन्य समूहों (कश्मीरी प्रवासियों और कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र बलों के आश्रितों) के लिए पाँच अंक। हमारी समझ यह है कि शैक्षणिक योग्यता अंक अधिकतम 100 अंकों में से है, जिसके लिए अन्तिम अंक देने के लिए वंचित अंक (अधिकतम 10) जोड़ दिए जाते हैं।

पुरूषोत्तम अग्रवाल इस बात का एक संशोधित संस्करण सुझाता है जिसे वह 'मल्टीपल इंडेक्स फॉरफर्मेटिव एक्शन' (एमआईआरएएए) कहते हैं। इस के अन्तर्गत अधिकतम 30 अभाव अंक दिए गए हैं (इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करना है) निम्नानुसार है: जाति, जनजाति, लिंग, क्षेत्र और विद्यालय की शिक्षा के प्रकार के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को पाँच अंक तक; आर्थिक स्थिति के लिए छह अंक तक; और अभिभावकीय शिक्षा के स्तर के लिए चार अंक तक दिए जाते हैं।यद्यपि हमने इन योजनाओं को विस्तार से नहीं पढ़ा है, प्रारम्भिक संस्करण अन्तर के निम्नलिखित बिन्दुओं का सुझाव देते हैं: ये दोनों योजनाएँ योगशील हैं और विभिन्न संक्षेपों के बीच बातचीत के प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं; हालाँकि इसके पास सरलता का लाभ है। क्षेत्रीय पिछड़ेपन पर विचार करते समय जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर नहीं करती; यह उच्च तथा निम्न के बीच अन्तर भी नहीं करता है; अन्ततः कुल वंचित भार- कुल 110 में से अधिकतम 10 अंक - ज्यादा अन्तर बनाने के लिए बहुत कम प्रतीत होता है, खासकर अन्य पिछड़ी जातियों को कम करने के लिए। अग्रवाल की योजना ओबीसी के बीच सबसे पिछड़े और दूसरों के बीच भेद करती है, परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सापेक्ष अंकों का पुरस्कार दिया है - ऊँची अन्य पिछड़ी जातियों के लिए दो की तुलना में पाँच बहुत कम दिखाई देते हैं। साथ ही, जहाँ माता-पिता की शिक्षा एक वैध और अच्छी संकेतक है,समस्या यह है कि शिक्षा के अभाव को दस्तावेजों में लाना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त, आय की प्रत्यक्ष आत्म-प्रेक्षण में सम्मिलित हानियाँ भी अच्छी तरह से ज्ञात हैं।